

**पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति संबंधी आवेदन के साथ भेजे जाने वाले अनुलग्नकों की सूची**

1. मूल पंजीयन प्रमाण पत्र के गुम होने से संबंधित नोटरी के साथ शपथ पत्र की प्रति।
2. 5/- रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर
3. अधिप्रमाणित घोषणापत्र की प्रति जिसके आधार पर समाचारपत्र/ आवधिक पंजिकृत हुआ है
4. यदि वार्षिक विवरणी जमा नहीं कराई है तो डी.डी.ओ., आर. एन. आई., नई दिल्ली के पक्ष में 500/- रूपए प्रति वर्ष का दण्ड जमा करना होगा (पी.आर.बी अधिनियम, 1867 की धारा 19 डी के तहत आर.एन.आई. में वार्षिक विवरणी जमा करना अनिवार्य है)
5. नवीनतम अंक की प्रति